लक्ष्य और आकांक्षा

राम निरीक्षण आत्मा राम महाविद्यालय अपने छात्र-छात्राओं को अध्ययन में संलग्न, व्यवहार में विनम्र, आचार-विचार में सुसंगत, चरित्र में निष्कलंक और राष्ट्रसेवा में कृतसंकल्पित देखना चाहता है।

महाविद्यालय की आकांक्षा है कि उसके छात्र-छात्रायें राष्ट्र के आदर्श नागरिक बनें, तन से स्वस्थ, सबल, मन से प्रच्छन्न प्रसन्न एवं आचरण से शिष्ट-विशिष्ट बनें। उनके सर्वाङ्गीन विकास और समुचित शिक्षा-दीक्षा के लिए सर्वोत्तम वातावरण समुपस्थित करना महाविद्यालय का लक्ष्य है।

महाविद्यालय अपने छात्र-छात्राओं से पूर्ण आशा रखता है कि वे अध्ययनावधि में पूर्ण निष्ठा के साथ महाविद्यालय को स्वाध्याय का पवित्र मंदिर समझकर इसकी उन्नति में अपनी समुन्नति समझते हुए इसकी मर्यादा रक्षा के लिए सतत् सजग और सावधान रहेंगे।

डा0 आनन्द मोहन झा
प्रधानाचार्य

परिचय

राम निरीक्षण आत्मा राम महाविद्यालय समस्तीपुर जिले का एक आदर्श महाविद्यालय है। समस्तीपुर जंक्शन से दो किलोमीटर पश्चिम रेलवे लाइन से सटे दक्षिण एवं देहाती क्षेत्र के संगम स्थल पर अवस्थित यह महाविद्यालय जिले का गौरव है।

महाविद्यालय की स्थापना सन् 1968 ई0 में समर्था ग्राम के महान विभूति एवं विद्यानुरागी पंडित राम निरीक्षण सिंह जी के नाम से उनकी श्रीमति एवं सभी पुत्रों के सहयोग से समर्था कल्याणपुर, दलसिंहसराय में हुआ था। बाद में कतिपय कारणों से यह महाविद्यालय स्थानान्तरित होकर मॉडल उच्च विद्यालय, समस्तीपुर और तदन्तर के0 ई0 एच0 इ0 विद्यालय में पूर्ण आस्था, धैर्य और विश्वास के साथ उच्च शिक्षा का मानक स्तम्भ बना। पंडित जी की धर्म पत्नी एवं उनके सुपुत्रों ने अपना पुस्तकालय एवं भूमि महाविद्यालय को दान देकर इस महाविद्यालय की अस्मिता की रक्षा की।

यह महाविद्यालय उत्तरी बिहार की गौरवमयी शिक्षण संस्था के रूप में ख्यात है जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा की अंगीभूत इकाई है। यहाँ अन्तर स्नातक से स्नातक प्रतिष्ठा तक कला एवं विज्ञान के विषयों की शिक्षण व्यवस्था है।

1975-76 ई0 में जब महाविद्यालय घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा था तब श्री दाता राम मिश्र, मसीना बीज निगम, समस्तीपुर ने अपने पिता श्री आत्मा राम मिश्र जी के निधन के पश्चात् अपनी दानशीलता का परिचय देते हुए इसे आर्थिक संकट से उबारा। तत्पश्चात् तत्कालीन शासी निकाय ने इसके नाम में परिवर्त्तन करते हुए इस महाविद्यालय का नाम ''राम निरीक्षण आत्मा राम महाविद्यालय, समस्तीपुर'' रखा। मिश्रजी की दानशीलता ने इस महाविद्यालय के लिए संजीवनी का कार्य किया। समस्तीपुर अन्तर्गत मूसापुर ग्राम निवासी श्री दारो ठाकुर ने अपने अथक प्रयास से इस महाविद्यालय को भूमि संकट से त्रान दिलाया।

इस महाविद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य श्री अखिलेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में महत्ती भूमिका प्रदान की। तत्पश्चात 03 अगस्त 1972 को डा0 इन्द्रदेव शर्मा के योगदान ने महाविद्यालय को कुशल मार्ग प्रदान किया उन्होंने अपने सहयोगियों तथा समाज सेवियों के समर्थन से महाविद्यालय के विभिन्न आयामों में गति प्रदान किया।

डा0 इन्द्रदेव शर्मा ने इस महाविद्यालय को उन्नीस वर्षों की अपनी सेवा समर्पित किया। उक्त अवधि में उन्होंने अपने आध्यात्मिक चिन्तन, कर्त्तव्य निष्ठता एवं दयालुता से जन-जन तक झोला फैलायी जिनके प्रतिब¼ता का फल यह महाविद्यालय है।

स्थापनाकाल में जिन महान समाजसेवी एवं विद्वानों का योगदान रहा उनमें स्व0 ब्रहमेश्वर चौवे (बड़ाबाबू), स्व0 शिव शरण सिंह, वरीय अधिवक्ता, मो0 यास्तीन, स्व0 हाजी अली, स्व0 डा0 बद्री नारायण सिंह, अधिवक्ता, स्व0 ब्रजनन्दन प्रसाद सिंह, स्व0 परमानन्द सिंह मदन एवं श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह जी का नाम अविस्मरणीय रहेगा। दाता राम मिश्रजी, सचिव एवं डा0 इन्द्रदेव शर्मा, प्राचार्य ने नवम्बर 1980 में अंगीभूतीकरण की प्रक्रिया को सम्पन्न किया।

उत्तरोत्तर काल में अनेक विद्वान शिक्षाविदों ने इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर आसीन होकर महाविद्यालय को विकसित किया जिससे यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर समाज के सामने आया।

वर्त्तमान प्रधानाचार्य डा0 आनन्द मोहन झा ने 03. 03. 2009 को इस महाविद्यालय में योगदान किया। अपने वहुआयामी व्यक्तित्व, विकासात्मक दृष्टिकोण एवं मृदुल स्वभाव से प्रधानाचार्य महाविद्यालय के चतुर्दिक विकास में अपनी भागीदारी प्रदान कर रहे हैं। इनके निर्देशन में महाविद्यालय ने पठन-पाठन के अतिरिक्त खेल, कला-संस्कृति विभिन्न आयामों पर ऊचाइयाँ प्राप्त की है।

लगभग सात एकड़ भूखण्ड पर अवस्थित इस महाविद्यालय का भवन चार खण्डों में निर्मित है। जिसमें स्वतंत्र जलापूर्त्ति, प्रकाश एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था है। महाविद्यालय की दो मंजिली इमारत में व्याख्यान कक्ष, सम्¼ पुस्तकालय एवं विभिन्न विषयों की सक्षम प्रयोगशालाऐं भी उपलब्ध हैं। महाविद्यालय की चाहर दिवारी, मुख्य द्वार एवं वनस्पतियों से मंडित बड़ा मैदान भी आकर्षण का केन्द्र है।

परिचय पत्र

महाविद्यालय में नामांकन होने के साथ ही छात्र-छात्राओं को परिचय-पत्र बनवा लेना अनिवार्य है। परिचय पत्र परिसर में सदैव साथ रखना है।

छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा-विभाग आदि में मिलने वाली सुविधाएँ परिचय-पत्र दिखाने पर ही दी जा सकती है।

बैंको में खाता परिचालन, छात्रवृति और रेलवे कन्सेशन आदि सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

महाविद्यालय में सामान्यतया तथा कोई विशेष परिस्थिति आने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परिचय पत्र छात्र-छात्राओं एवं प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाचार्य द्वारा अधिकृत किसी शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रधानाचार्य द्वारा मुद्रांकित होंगे।

छात्र-छात्रओं के लिए आवश्यक निर्देश

1. महाविद्यालय परिसर के अन्दर या बाहर छात्रों के लिये किसी प्रकार का अशिष्ट या अभद्र व्यवहार सर्वथा वर्जित है।

2. प्रधानाचार्य कक्ष या अध्यापक कक्ष में पूर्वानुमति के बिना प्रवेश वर्जित है।

3. किसी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन सर्वथा वर्जित है।

4. महाविद्यालय में रहने पर वर्ग में अनुपस्थित रहना अनुशासन के विरू¼ है। ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कदम उठाने का प्रावधान है।

5. महाविद्यालय के किसी वस्तु फूल-पत्ती आदि को क्षति पहुँचाना या तोड़ना, दीवार लेखन करना आदि अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर छात्र दण्ड के भागी होंगे।

6. वर्ग संचालनावधि में बरामदे पर एकत्र होना, शोर मचाना या वर्ग बाधित करना दण्डनीय है।

7. वर्ग में अध्यापक के आ जाने के पश्चात बिना अनुमति लिये वर्ग में प्रवेश करना या वर्ग से बाहर निकलना दोनो वर्जित है।

8. निष्प्रयोजन महाविद्यालय के बरामदे अथवा छात्रकक्ष के समक्ष घुमना निषि¼ है।

9. वर्ग में उपस्थिति के समय प्रॉक्सी दण्डनीय है।

10. वर्ग में किसी भी स्थिति में प्राध्यापक के आदेश की अवहेलना या उपेक्षा करना अक्षम्य है।

11. महाविद्यालय, वर्ग कक्ष, बरामदा आदि स्थानों पर यत्र-तत्र थूकना, कागज फाड़कर फेंकना या नियत स्थान के विपरीत साइकिल आदि लगाना सर्वथा वर्जित है।

12. परीक्षा भवन में या वर्ग कक्ष में शोर मचाना, निषि¼ वस्तुओं को ले जाना, बाहरी तत्वों के साथ आना संज्ञेय अपराध माना जाएगा।

13. अध्यापन सम्बन्धी सूचना, सुविधा-असुविधा तथा अन्यान्य कार्यों के लिये सम्बन्धित विभागाध्यक्ष या प्रभारी प्राध्यापक के पास जाना चाहिए। इन तमाम बातों के लिए सीधे प्रधानाचार्य के पास पहुँचना सर्वथा अनुचित है।

14. विश्वविद्यालय अधिनियमानुकूल 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करने पर ही छात्र-छात्राओं को इन्टर अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति मिलेगी। अतः वर्ग में उपस्थित रहने हेतु प्रत्येक छात्र-छात्रा को सजग एवं सतर्क रहना होगा।

15. लगातार 30 दिनों तक वर्ग में अनुपस्थित रहने वाले छात्र-छत्राओं का नामांकन स्वतः निरस्त किया जा सकेगा अथवा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र दे दिया जाएगा।

16. छात्र-छात्राओं के व्यापक हित में आवश्यकतानुसार, अवकाश दिनों में भी अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था की जाती है। इन वर्गों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।

17. प्रत्येक सत्र में कम से कम दो सावाधिक परीक्षाएँ होंगीं। किसी विशेष परिस्थितिवश यदि कोई छात्र-छात्रा परीक्षा में सम्मिलित होने में असमर्थ हो जाए तो वैसी स्थिति में इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा से पूर्व दे देनी होगी।

18. परीक्षा सम्बन्धी यथा संभव सूचना परीक्षा-नियंत्रक/ परीक्षा विभाग से लेने की व्यवस्था है।

19. यदि कोई शिकायत अथवा सूझाव हो तो उसे महाविद्यालय के शिकायत अथवा सूझाव पेटी में लिखित डालने अथवा अधिकृत अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने कर प्रावधान है, मौखिक मान्य नही है।

नामांकन

महाविद्यालय में प्रवेशार्थ नामांकन आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

1. पूर्व विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र (S.L.C. or C.L.C.) अथवा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.)।

2. विगत परीक्षा का प्रवेश-पत्र (Admit card) एवं अंक पत्र (Marks sheet)।

4. नामांकन के समय उपर्युक्त तीनों प्रमाण-पत्रों का मूल प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। नामांकन के बाद '1' एवं '2' वापसी योग्य नहीं है।

5. पासपोर्ट साइज का चार फोटो देना आवश्यक है।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7. सी. बी. एस. ई. अथवा किसी अन्य बोर्ड अथवा दूसरे विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करने के पश्चात ही नामांकन हो सकेगा।

8. नियम के विरू¼ आचरण व नियम की अवहेलना करना दण्डनीय है।

9. नामांकन हेतु इच्छुक छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क भुगतान कर आवेदन प्रपत्र लेकर जमा करने के पश्चात ही नामांकन के सम्बन्ध में आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।

शिक्षण एवं अन्यान्य शुल्क

अन्तर स्नातक कला	
नामांकन शुल्क	09.00
शिक्षण शुल्क	108.00
वि. वि. शुल्क	75.00
महा. वि. शुल्क	150.00
विविध शुल्क	380.00
	.....
	722.00

अन्तर स्नातक विज्ञान	
नामांकन शुल्क	10.00
शिक्षण शुल्क	120.00
वि. वि. शुल्क	75.00
महा. वि. शुल्क	150.00
विविध शुल्क	420.00
प्रयोगशाला शुल्क	36.00
	.....
	811.00

स्नातक कला	
नामांकन शुल्क	13.00
शिक्षण शुल्क	156.00
वि. वि. शुल्क	100.00
महा. वि. शुल्क	150.00
विविध शुल्क	265.00
पंजीयन शुल्क	100.00
	.....
	784.00

स्नातक विज्ञान / स्नातक कला (भूगोल एवं मनोविज्ञान)	
नामांकन शुल्क	13.00
शिक्षण शुल्क	156.00
वि. वि. शुल्क	100.00
महा. वि. शुल्क	150.00
विविध शुल्क	305.00
पंजीयन शुल्क	100.00
प्रयोगशाला शुल्क	36.00
	.....
	860.00

Fee of Career Oriented Courses

Admission Fee	- 300.00
Course Fee	- 3600.00
Annual Fee	- 400.00
Dev. Fee	- 400.00
Breakage Charge	- 500.00
Laboratory Fee	- 500.00
Extra Charge	- 400.00
Univ. Exam. Fee	- 1035.00

	7035.00 (Per annum)

नोट: बायोटेकनोलोजिकल टेकनिकस के छात्रों को प्रशिक्षण के समय अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

C. B. S, E. अथवा किसी अन्य बोर्ड से पास छात्रों के लिए पंजीयन शुल्क 180.00 होगा।

पुस्तकालय व्यवस्था एवं नियम

पुस्तकालय को सुव्यवस्थित एवं सुचारू ढ़ंग से चलाने हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक कार्य पर तत्पर रहा करते हैं। छात्र-छात्राओं की सुविधा एवं पुस्तकालय व्यवस्था, नियम-पालन आदि का दायित्व उन्हीं लोगों पर रहता है, जिसमें छात्र-छात्राओं का शान्तिपूर्ण सहयोग अपेक्षित है। पुस्तकालय वर्गावधि में खुला रहता है।

नियम

1. पुस्तक लेने और वापस करने के समय छात्र-छात्रा के लिए परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक/कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। छात्रों के पुस्तकालय पत्रक पर जिन पुस्तकों के नाम अंकित होंगे, उनका दायित्व सम्ब¼ छात्र-छात्रा पर होगा।

2. पुस्तकों के क्षतिग्रस्त होने पर, किसी प्रकार का रेखांकित/चिन्हित होने पर, पृष्ठ गाायब करने पर, उस पुस्तक के बदले दूसरी पुस्तक/पुस्तकें पुस्तकालय को प्रत्यर्पित (जमा) करनी पड़ेगी। मूल पुस्तक की अनुपलब्ध अथवा उसके खो जाने पर प्रधानाचार्य के आदेश के अनुसार उसका मूल्य जमा करना होगा।

3. पुस्तकालय-पत्रक पर ली गयी पुस्तकें एक पक्ष (पंद्रह दिनों) तक रखी जा सकती है। आवश्यकता होने पर पुन: दस दिनों के लिये ली जा सकती है।

4. निर्धारित अवधि (पन्द्रह दिनों) के पश्चात पुस्तक/पुस्तकें नहीं लौटाने पर दो रूपये प्रति पुस्तक प्रति दिन की दर से अर्थ दण्ड देय होगा।

5. तीन दिनों की सूचना पर कोई भी ली गयी पुस्तक किसी भी समय वापस मांगी जा सकती है।

6. पुस्तकालय पत्रक विनष्ट होने या खो जाने पर निर्धारित/विहित शुल्क पचास रूपये जमा करने के पश्चात ही नया पत्रक बनाया जा सकेगा।

7. विभिन्न वर्गों के छात्र-छात्राएँ निम्नलिखित संख्या अनुसार ही पुस्तक ले सकते है:-

अन्तर स्नातक - 1 स्नातक - 2

परीक्षा विभाग

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिये महाविद्यालय में परीक्षा-विभाग स्थापित है। परीक्षाओं के विधिवत संचालन के लिये प्रधानाचार्य द्वारा 'परीक्षा नियंत्रक' की नियुक्ति की जाती है तथा उनके सहयोगी शिक्षक को सदस्य के रूप में प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। परीक्षा सम्बंधी समस्त सूचनाएँ परीक्षा-विभाग से प्रप्त की जा सकती है।

रेलवे कन्सेशन

रेलवे कन्सेशन सम्बन्धी जानकारी के लिये छात्र-छात्रा अधिकृत प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क कर सकते हैं। रंलवे कन्सेशन ग्रीष्मावकाश, पूजावकाश, बड़ा दिन की छुट्टी तथा होली में अपने माता-पिता/अभिभावक के पास

जाने के लिए छात्रों को मिल सकता है। कन्सेशन की सुविधा के लिए छात्र-छात्राओं के घर का पूर्ण विवरण तथा पता अथवा माता-पिता/अभिभावक जहाँ साधारणतया निवाश करते हैं उस जगह का पता महाविद्यालय के नामांकन पंजी में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

छात्र-छात्राओं को किसी प्रतियोगिता परीक्षा तथा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अन्तर्वीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भी यह सुविधा प्रदान की जा सकती है। रेलवे कन्सेशन सुविधा प्राप्त करने वास्ते परीक्षा का प्रवेश पत्र अथवा अन्तर्वीक्षा के लिए प्राप्त पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय एवं सामाजिक संचेतना तथा सेवा-भाव जागृत करने के करने के उद्देश्य से केन्द्र तथा राज्य सरकार के पारस्परिक सहयोग से इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना क्रियाशील है। राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र-छात्राओं कों उनकी पहचान कराती है। अपने देश की पृष्ठ भूमि, समाज एवं संस्कृति को जानने का अवसर प्रदान करती है। मानवीय संवेदनाओं को जागृत कर व्यक्तित्व का विकास करती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्त्वाधान में महाविद्यालय में वृक्षारोपण, साक्षरता परियोजना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सामाजिक रूप से प्रासांगिक मुद्दों, जैसे दहेज, एड्स निषेध आदि, पर विचार-विमर्श का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें निम्नलिखित हैं-

1. इस योजना में मात्र 100 छात्रों के नामांकन का प्रावधान है।

2. नामांकित छात्रों का दो सत्रों तक योजना से सम्ब¼ रहना होगा। एक सत्रावधि में उन्हें 120 घंटे तक इसके कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा।

3. छात्रों के लिए प्रतिवर्ष अवकाश में विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है।

4. सेवा कार्यों के लिए उन्हे प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं।

5. नामांकन के लिए इच्छुक छात्र-छात्रा महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी से विहित प्रपत्र लेकर आवेदन कर सकते हैं।

क्रीड़ा विभाग

महाविद्यालय में क्रीड़ा पंचाग लागू है। तदनुसार विश्वविद्यालय के नियमानुसार सभी संवर्ग में प्रतिस्पर्धा का आयोजन होता है। नामांकन हेतु प्रपत्र जमा करना अनिवार्य है।

कैरियर एवं काउंसेलिंग प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान से महाविद्यालय में कैरियर एवं काउंसेलिंग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ का उ¼श्य छात्र-छात्राओं को उनके कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। समय-समय पर इस प्रकोष्ठ द्वारा सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है जिसमें विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है तथा छात्र-छात्राओं को उनके कैरियर से संबंधित दिशानिर्देश भी प्रदान किया जाता है।

महाविद्यालय में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम

1. बिहार का +2 स्तरीय (कक्षा ग्प एवं ग्प्) नवीन पाठ्यक्रम बिहार के इन्टर के वर्त्तमान पाठ्यक्रम एवं सी0 बी0 एस0 ई0 के वर्त्तमान पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नांकित विषयों की पढ़ाई +2 स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं में करने का निर्णय मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार द्वारा लिया गया है-

भाषा समूह

1. हिन्दी 2. उर्दू 3. अंग्रेजी 4. संस्कृत 5. मैथिली

उक्त भाषाओं में से प्रत्येक विद्यार्थी को 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा में अनिवार्यत: दो भाषाएँ पढ़नी होगी। भाषा समूह के उक्त विषयों के पाठ्यक्रम सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक जैसे होंगे।

वैकल्पिक विषय

1. गणित	2. भैतिकी विज्ञान	3. रसायन शास्त्र
4. जीव विज्ञान	5. इतिहास	6. राजनीतिशास्त्र
7. भूगोल	8. अर्थशास्त्र	9. मनोविज्ञान
10. दर्शनशास्त्र		

उपरोक्त वैकल्पिक विषयों में से शिक्षार्थी को अनिवार्यत: तीन विषयों का अध्ययन करना होगा। इस प्रकार शिक्षार्थी को दोनो समूह से अनिवार्यत: पांच विषयों का अध्ययन करना होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी चाहें तो उक्त दोनो विषय (भाषा एवं वैकल्पिक) समूह में से किसी एक विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं।

स्नातक प्रतिष्ठा

महाविद्यालय में ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय का त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम संचालित है, जिसमें प्रत्येक खण्ड (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) के अंत में विश्वविद्यालय परीक्षा होती है। कला एवं विज्ञान संकाय में अलग-अलग अंकित विषयों में से छात्र / छात्राओं को किसी एक विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में चयन करना है। प्रतिष्ठा-विषय में नामांकन हेतु विहित आवेदन-प्रपत्र पर आवेदन देना होगा।

प्रतिष्ठा-विषय में नामांकन हेतु विगत अन्तर स्नातक स्तरीय परीक्षा में उस विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। ज्ञातव्य है कि जिस प्रतिष्ठा विषय में छात्र /छात्रा का चयन होगा उसी विषय में नामांकन कराना होगा।

स्नातक प्रतिष्ठा के पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में प्रतिष्ठा-शिक्षण की व्यवस्था है-

विज्ञान	कला	
1. भौतिकी	1. हिन्दी	6. इतिहास
2. रसायन	2. अंग्रेजी	7. भूगोल
3. गणित	3. मैथिली	8. मनोविज्ञान
4. वनस्पति विज्ञान	4. संस्कृत	9. राजनीतिशास्त्र
5. जन्तु विज्ञान	5. उर्दू	10. अर्थशास्त्र
		11. दर्शनशास्त्र

स्नातक कला प्रतिष्ठा

स्नातक कला प्रतिष्ठा तीन खण्डों में विभाजित है।

स्नातक प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड में प्रतिष्ठा के सौ-सौ अंकों के दो पत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त 100 अंकों की राष्ट्रभाषा हिन्दी अथवा 50 अंकों की राष्ट्रभाषा (अहिन्दी) तथा 50 अंकों की मैथिली, अंग्रेजी, उर्दू में से कोई एक विषय चयन कराना होता है।

प्रतिष्ठा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त किसी दो विषयों को आनुषांगिक विषय के रूप में रखना अनिवार्य है।

जिस विषय को प्रतिष्ठा के लिये चयन किया गया हो उस विषय को आनुषांगिक विषय के रूप में नहीं रखा जा सकता है।

स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय खण्ड में सौ-सौ अंकों के चार पत्र एवं 100 अंको का सामान्य पर्यावरण अध्ययन कुल 500 अंकों का अध्ययन अपेक्षित है।

स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम

स्नातक विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है, जिसमें प्रत्येक खण्ड के अन्त में विश्वविद्यालय परीक्षा होती है। छात्र-छात्रा अधोलिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन कर महाविद्यालय द्वारा विहित नामांकन आवेदन-पत्रक लेकर आवेदन कर सकते हैं।

अन्तर स्नातक (प्पैबण) में जीव-विज्ञान से उत्तीर्ण छात्र-छात्रा वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में से किसी एक विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में तथा दो विषयों को आनुषांगिक विषय के रूप में चयनित कर सकते हैं।

अन्तर स्नातक (प्पैबण) में गणित से उत्तीर्ण छात्र-छात्रा भौतिकी, गणित एवं रसायन विज्ञान में से किसी एक विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में तथा दो विषयों को आनुशांगिक विषय के रूप में चयनित कर सकते हैं।

स्नातक प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड में प्रतिष्ठा के 75-75 अंकों के दो सै¼ान्तिक पत्र तथा 50 अंको का एक प्रायोगिक पत्र (गणित छोड़कर) होते हैं। इसके अतिरिक्त 100 अंकों की राष्ट्रभाषा हिन्दी अथवा 50 अंकों की राष्ट्रभाषा (अहिन्दी) तथा 50 अंकों की मैथिली, अंग्रेजी, उर्दू में से कोई एक विषय चयन कराना होता है।

प्रतिष्ठा का विषय और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त किसी दो विषय को आनुषांगिक विषय के रूप में रखना अनिवार्य है।

जिस विषय को प्रतिष्ठा के लिये चयन किया गया हो उस विषय को आनुषांगिक विषय के रूप में नहीं रखा जा सकता है।

स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय खण्ड में सौ-सौ अंकों के तीन पत्र एवं सै¼ान्तिक पत्र, 100 अंको का एक प्रायोगिक पत्र (गणित छोड़कर) तथा 100 अंको का सामान्य पर्यावरण अध्ययन कुल 500 अंकों का अध्ययन अपेक्षित है।

कैरियर ओरियेन्टेड पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित ब्तममत व्तपमदजमक च्तवहतंउउम के तहत इस महाविद्यालय में तीन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई चल रही है।

1.भू-सर्वेक्षण

समस्तीपुर/दरभंगा/बेगुसराय/मधुबनी जिलान्तर्गत ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंगीभूत/संब¼ महाविद्यालयों में सभी संकायों के स्नातक में नामांकित / अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को स्व-रोजगार / सरकारी रोजगार प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित ब्तममत व्तपमदजमक च्तवहतंउउम के तहत भू-सर्वेक्षण (स्ंदकै.नतअमलपदह) का 3- Years Degree Course (Certificate/ Diploma/Advanced Diploma) की पढ़ाई इस महाविद्यालय में चल रही है जिसकी मान्यता ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से प्राप्त है। सतत् तीन वर्ष में उतीर्ण होने पर भू-सर्वेक्षण में 'Honours' की Degree भी प्राप्त हो सकती है।

भू-सर्वेक्षण ज्ञान अर्पण हेतु यहाँ योग्य, अनुभवी शिक्षक एवं सुसज्जित (well equipped) प्रयोगशाला उपलब्ध है आधुनिक व्यवसायिक/वैश्विक युग में भू-सर्वेक्षण का ज्ञान निश्चित रूप से छात्रों के भावी जीवन को आर्थिक सम्पन्नता प्रदान करेगा। स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रखंडों में निजी तौर पर शहरों व गाँवो में मकान, खेतों के नाप जोख (measurement) में इसकी मांग है। प्रान्तीय स्तर पर भू-अर्जन विभाग, अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग इत्यादि एवं राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे विभाग, ळण्ैण्प्ण् जन-कार्य विभाग एवं नाप-जोख से सम्बन्धित अन्य विभागों में भी इस तकनीकी की आवश्यकता है, जहाँ सरकारी/संविदा के आधार पर नियोजन प्राप्त हो सकता है। स्थानीय एवं प्रादेशिक स्तर पर भू-सर्वेक्षण अध्ययन हेतु स्नातक स्तर का यह एक मात्र शिक्षण केन्द्र है। अतएव, सुनहरे भविष्य हेतु जरूरतमंद/इच्छुक छात्र/छात्राएँ विशेष जानकारी एवं नामांकन हेतु महाविद्यालय से यथाशीघ्र संपर्क करें।

2. महिला विकास पाठ्यक्रम

वैश्वीकरण के इस युग में महिला सबलीकरण के अभाव में समाज का सम्यक विकास संभव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी अपनी शैक्षणिक योजनाओं में महिला विकास संबंधी शिक्षा पर बल दिया है। वैसे भी महाविद्यालयों में पारंपरिक शिक्षा के अतिरिक्त रोजगारन्मुखी शिक्षण, आधुनिक युग की आवश्यकता है। क्योंकि रोजगारन्मुखी शिक्षा द्वारा छात्रों का आर्थिक सबलीकरण संभव है। इसी निमित ल0 ना0 मिथिला वैश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई रामनिरीक्षण आत्माराम महाविद्यालय, समस्तीपुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली सम्पोषित महिला विकास अध्ययन की व्यवस्था की गई है। यह अध्ययन परम्परागत अध्ययनों से अलग हटकर सै¼ान्तिक एवं व्यवहारिक महिला रोजगारन्मुखी विषयों से संबंधित है जिसके अर्न्तगत त्रीवर्षीय पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न प्रकार के

रोजगारन्मुखी विषयों-कम्प्युटर, सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग, संगीत, खाघ संरक्षण, ब्युटीशियन का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। इस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओ के व्यक्तित्व का निर्माण करना एवं उनके लिए रोजगार के सुनहरे अवसर का निर्माण करना है। प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था है जो 1 वर्षों का होता है। इसमें प्रवेश के लिए छात्राओं का स्थानीय किसी भी महाविद्यालय में स्नातक में नामांकन आवश्यक है। सर्टिफिकेट कोर्स के बाद डिप्लोमा एवं एडवांस डिप्लोमा कोर्स भी है। तीनों कोर्स के लिए अलग-अलग नामांकन एवं परीक्षा की व्यवस्था है। डिप्लोमा कोर्स में सटिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण होने पर ही नामांकन संभव है। नामांकन के लिए इच्छुक छात्राएँ विशेष जानकारी हेतु महाविद्यालय से यथाशीघ्र संपर्क करें।

3. बायोटेकनोलोजिकल टेकनिक

ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंगीभूत/संब¼ महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय के स्नातक प्रतिष्ठा (Botany, Zoology, Chemistry) में नामांकित / अघ्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित ब्ंतममत व्तपमदजमक च्तवहतंउउम के तहत बायोटकनोलोजिकल टेकनिकस (ठपवजमबीदवसवहपबंस ज्मबीदपुनमे) विषय का त्रीवर्षीय पाठ्यक्रम (Certificate/ Diploma/Advanced Diploma) की पढ़ाई इस महाविद्यालय में चल रही है जिसकी मान्यता ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से प्राप्त है। बायोटेकनोलोजी की पढ़ाई देश के कई महाविद्यालयों / विश्वविद्याालयों में हो रही है जिसमें छात्र-छात्राओं को सै¼ान्तिक एवं प्रायोगिक वर्ग द्वारा इस विषय की जानकारी दी जाती है। इस पाठ्यक्रम को परम्परागत बायोटेकनोलोजी पाठ्यक्रम से अलग हटकर तैयार किया गया है जिसमें छात्र-छात्राओं को बायोटेकनोलोजी के क्षेत्र में उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण तकनीकों की सै¼ान्तिक एवं प्रायोगिक ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे वे तकनीकि दक्षता प्राप्त कर सकें। इस विषय की पढ़ाई के लिए योग्य, अनुभवी शिक्षक एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित (well equipped) प्रयोगशाला उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आधुनिक प्रयोगशालाओं एवं शोध संस्थानों में भी भेजने का प्रावधान है। व्यवसायिक / वैश्विक युग में बायोटेकनोलोजी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार प्राप्त करने अथवा स्वरोजगार के क्षेत्र में तकनीकि ज्ञान निश्चित रूप से छात्रों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकेगा। इच्छुक छात्र/छात्राएँ विशेष जानकारी एवं नामांकन हेतु महाविद्यालय से यथाशीघ्र संपर्क करें।

अभ्यान्तरिक संस्था एवं व्यवस्था

1. शिकायत निवारण कोषांग

1. प्रोफेसर (डा0) मिन्नी ठाकुर, विभागाध्यक्षा राजनीति विज्ञान विभाग
2. श्री शैलेन्द्र नाथ दास, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग
3. डा0 ओम प्रकाश शर्मा, विभागाध्यक्ष जन्तु विज्ञान विभाग
4. डा0 दयाकान्त मिश्रा, विभागाध्यक्ष मैथिली विभाग

2. छात्र परामर्शी परिषद

1. प्रोफेसर (डा0) मिन्नी ठाकुर, विभागाध्यक्षा राजनीति विज्ञान विभाग
2. डा0 ओम प्रकाश शर्मा, विभागाध्यक्ष जन्तु विज्ञान विभाग
3. डा0 भोला चौरसिया, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग
4. श्रीमति गीता चौधारी, विभागाध्यक्षा हिन्दी विभाग
5. श्री अरूण कुमार चौधारी, वनस्पति विज्ञान विभाग

3. समय सारिणी प्रभारी

1. डा0 सतीश चन्द्र झा, विभागाध्यक्ष भौतिकी विभाग

4. पुस्तकालय समिति

1. डा0 भोला चौरसिया, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग

2. डा0 सच्चिदानन्द प्र0 सिंह, विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग

5. नामांकन समिति

1. श्री गुलाम सरवर, विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग, प्रभारी
2. डा0 दीनानाथ चौधारी, रसायन शास्त्र विभाग, सदस्य
3. श्री अरूण कुमार मिश्रा, वनस्पति विज्ञान विभाग, सदस्य
3. श्री अरूण कुमार मिश्रा, जन्तु विज्ञान विभाग, सदस्य

6. अग्रसारण एवं सत्यापन प्रभारी

1. डा0 दयाकान्त मिश्रा, विभागाध्यक्ष मैथिली विभाग

7. एन0 एस0 एस0 कार्यक्रम पदाधिकारी

1. डा0 बिनोद कुमार चौधारी, मैथिली विभाग

8. रेलवे कन्सेशन प्रभारी

1. डा0 दयाकान्त मिश्रा, विभागाध्यक्ष मैथिली विभाग

9. छात्रवृति समिति

1. श्री शैलेन्द्र नाथ दास, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, संयोजक
2. डा0 हरे कृष्ण सिंह, जन्तु विज्ञान विभाग, सदस्य
3. श्रीमति मृदुला रानी, जन्तु विज्ञान विभाग, सदस्य

10. क्रीड़ा प्रभारी

1. डा0 हरे कृष्ण सिंह, जन्तु विज्ञान विभाग

11. सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति

1. प्रोफेसर (डा0) मिन्नी ठाकुर, विभागाध्यक्षा राजनीति विज्ञान विभाग
2. डा0 बिनोद कुमार चौधारी, मैथिली विभाग

11. छात्र अनुशासन समिति

1. प्रोफेसर (डा0) मिन्नी ठाकुर, विभागाध्यक्षा राजनीति विज्ञान विभाग
2. श्री शैलेन्द्र नाथ दास, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग
3. डा0 सतीश चन्द्र झा, विभागाध्यक्ष भौतिकी विभाग
4. डा0 भोला चौरसिया, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग
5. श्रीमति गीता चौधरी, विभागाध्यक्षा हिन्दी विभाग

12. समन्वयक कैरियर काउंसेलिंग प्रकोष्ठ

1. डा0 सुरेन्द्र प्रसाद, रसायन शास्त्र विभाग

13. महाविद्यालय सौन्दर्यीकरण समिति

1. श्री दिलशाद आलम, वनस्पति विज्ञान विभाग
2. डा0 बिनोद कुमार चौधारी, मैथिली विभाग
3. श्री अरूण कुमार मिश्रा, वनस्पति विज्ञान विभाग

14. विश्वविद्यालय परीक्षा प्रपत्र जॉच समिति

1. श्री अरूण कुमार चौधारी, वनस्पति विज्ञान विभाग, संयोजक
2. डा0 सुरेन्द्र प्रसाद, रसायन शास्त्र विभाग
3. श्री गुलाम सरवर, विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग, प्रभारी
4. डा0 दीनानाथ चौधारी, रसायन शास्त्र विभाग, सदस्य
5. श्री अरूण कुमार मिश्रा, वनस्पति विज्ञान विभाग, सदस्य

15. अन्तर स्नातक परीक्षा प्रपत्र जॉच समिति

1. श्री अरूण कुमार चौधारी, वनस्पति विज्ञान विभाग, संयोजक
2. श्रीमति गीता चौधरी, विभागाध्यक्षा हिन्दी विभाग
3. श्रीमति मृदुला रानी, जन्तु विज्ञान विभाग, सदस्य
4. श्री अरूण कुमार मिश्रा, जन्तु विज्ञान विभाग, सदस्य
5. श्री रामा कान्त मिश्रा, भूगोल विभाग, सदस्य

16. समन्वयक भू-सर्वेक्षण पाठ्यक्रम

1. डा0 सच्चिदानन्द प्र0 सिंह, विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग

17. समन्वयक महिला विकास पाठ्यक्रम

1. 1. प्रोफेसर (डा0) मिन्नी ठाकुर, विभागाध्यक्षा राजनीति विज्ञान विभाग

18. समन्वयक बायोटेकनोलोजिकल टेकनिक पाठ्यक्रम

1. श्री अरूण कुमार चौधारी, सह प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान विभाग

18. नोडल आफिसर छडम्ब्ब्ञ /साख्यिकीय पदाधिकारी

1. डा0 ओम प्रकाश शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग

महाविद्यालय के प्रधानाचार्य गण

नाम	कार्यावधि
1. श्री अखिलेश्वर प्र0 ना0 सिंह (प्रभारी)	8.8.1968-2.8.1970
2. डा0 इन्द्रदेव शर्मा	3.8.1970-4.6.1989
3. प्रो0 राम विन्ध्याचल सिंह (प्रभारी)	.6.1989-22.7.1989 एवं 9.3.1991-12.3.1991
4. श्री भैरव मोहन प्र0 सिंह	23.7.1989-8.3.1991एवं 1.3.1993-31.3.1995
5. डा0 आश नारायण शर्मा	13.3.1991-17.6.1991
6. डा0 लक्ष्मी कान्त चौधारी	17.6.1991-15.1.1992
7. प्रो0 बोढ़न प्रसाद सिंह	16.1.1992-28.2.1993
8. प्रो0 श्री भद्र झा (प्रभारी)	1.4.1995-30.6.1995 एवं 19.6.1996-19.2.1997
9. डा0 देवेन्द्र ठाकुर	1.7.1995-18.6.1996
10. डा0 तारेश्वर प्रसाद चौबे	20.2.1997-9.7.2000
11. डा0 श्रवण कुमार मिश्र	10.7.2000-31.1.2004
12. प्रो0 मन्मथ नाथ पाण्डेय (प्रभारी)	1.2.2004-24.8.2007
13. डा0 मुन्नी सिन्हा (प्रभारी)	25.8.2007-31.7.2008
14. डा0 राम निर्भय सिंह (प्रभारी)	1.8.2008-3.3.2009
15. डा0 आनन्द मोहन झा	3.3.2009 -